



# लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

## कार्यालय आदेश

लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर में:-

1. (क) पेड़ों का कटान तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक जानमाल की हानि की सम्भावना न हो। जानमाल की हानि की सम्भावना की स्थिति में कटान से पूर्व सक्षम अधिकारी की यथावश्यक अनुमति भी प्राप्त कर लिया जाना अनिवार्य है।  
(ख) दोनों परिसर में लगे पेड़ों की गिनती कराकर उनकी नम्बरिंग सुनिश्चित की जाये।  
(ग) जो नये पेड़ रोपित किये गये हैं उनके Survival की पक्की व्यवस्था की जाये तथा वर्षान्त Survival rate Calculation किया जाये।
2. अधीक्षक, भूमि एवं उद्यान विभाग उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उक्त बिन्दु-2 की कार्यवाही दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण कराकर आख्या कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी को प्रेषित करें।

*Archuleta*  
.....

(एस0के0 शुक्ल)

कुलपति

संख्या:- १८५१/१२६२ - १३४२/२०१७

दिनांक:- १७.१२.२०१९

प्रतिलिपि निम्नलिखित के अनुपालन हेतु-

1. संकायाध्यक्ष, समस्त संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय।
2. विभागाध्यक्ष, समस्त विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय।
3. कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय।
4. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय।
5. परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय।
6. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय।
7. इचार्ज, वेबसाइट, लखनऊ विश्वविद्यालय।

*Archuleta*  
.....

(एस0के0 शुक्ल)

कुलपति